

वृक्षवाटिका (Sacred Grove)

भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि पेड़ों में मनुष्यों की तरह जीवन है जो हमारी तरह दर्द और खुशी को महसूस करते हैं इसलिए पेड़ और उनके उत्पाद हमारे अनुष्ठानों और समारोहों का एक विशिष्ट हिस्सा हैं। भारत अपने विविधता के लिए जाना जाता है जिसमें पवित्र वनस्पतियों और पशुवर्ग की विविधता के महत्वपूर्ण भंडार हैं जो स्थानिये समुदायों द्वारा संरक्षित हैं।

भारत के वृक्षवाटिकाओ (Sacred Groves) की सूची

| राज्य | पवित्र पेड़ों के लिए स्थानीय शब्द |
|----------------|--|
| आंध्र प्रदेश | पवित्रावना |
| अरुणाचल प्रदेश | गुम्पा वन (बौद्ध मठों से जुड़े) |
| गोवा | देवराई, पॅन |
| झारखंड | साराना |
| कर्नाटक | देवारा कडु |
| केरल | कवु, सारा कवु |
| महाराष्ट्र | देवराई, देवहत्ती, देवगड़ी |
| मणिपुर | गाखाप, मौहक (पवित्र बांस भंडार) |
| मेघालय | की लॉ लिंगदोह, की लॉ क्नाटांग, की लॉ न्याम |
| उड़ीसा | जाहेरा, ठाकुराम्मा |
| पुडुचेरी | कोविल कडु |

etc.

इसके महत्व (Its importance)

पवित्र गूल्स , पवित्र सरोवर समृद्ध विविधता वाले कुंवारी वन के पथ हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं और वर्जनाओं के लिए सदियों से संरक्षित किया है कि देवता उनमें निवास करते हैं और ग्रामीणों को विभिन्न आपदाओं से बचाते हैं। प्रत्येक पवित्र ग्रोव अपने स्वयं के किंवदंतियों, विद्या और मिथकों को वहन करते हैं जो पवित्र ग्रोव का अभिन्न अंग बनते हैं। वर्तमान समाज और अतीत के बीच जैव विविधता, संस्कृति, धार्मिक और जातीय विरासत के संदर्भ में एक अटूट कड़ी पवित्र ग्रोव में मौजूद है। पवित्र गूल्स को दुनिया भर में वितरित किया जाता है, और विभिन्न संस्कृतियां उन्हें अलग-अलग तरीकों से पहचानती हैं ताकि उनकी सुरक्षा के

लिए विभिन्न नियमों को कूटबद्ध किया जा सके। पवित्र घाट भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, मध्य भारत, उत्तर-पूर्व भारत, आदि विशेष रूप से जहाँ पर स्वदेशी समुदाय रहते हैं। इन्हें जातीय लोगों द्वारा दिए गए अलग-अलग नामों से जाना जाता है। पवित्र सरोवर जैव विविधता संरक्षण के लिए एक आदर्श केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। जंगल में खतरे में पड़े कई पौधों और जानवरों को अभी भी कुछ पवित्र पेड़ों में संरक्षित किया गया है। यह देखा गया है कि कई औषधीय पौधे जो जंगल में नहीं पाए जाते हैं वे पवित्र पेड़ों में प्रचुर मात्रा में हैं। इसके अलावा, दुर्लभ, लुप्तप्राय, खतरे और स्थानिक प्रजातियों को अक्सर पवित्र पेड़ों में केंद्रित किया जाता है। पवित्रता, धार्मिक विश्वास और वर्जनाएं क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, समय बीतने के साथ, पवित्र ग्रोव की हद तक, उनकी वनस्पति संरचना में, उनके प्रति लोगों की धारणा और धार्मिक मान्यताओं और वर्जनाओं में काफी बदलाव हुए हैं। इसलिए, पवित्र ग्रोव की वर्तमान स्थिति, संरचना और कार्य की समग्र समझ उनकी पारिस्थितिक भूमिका का आकलन करने और उनके संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आवश्यक है। यह पत्र दुनिया भर में सामान्य रूप से और विशेष रूप से भारत में पवित्र ग्रोव्स पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा करता है, जिसमें प्रकाश डाला गया है कि पवित्र ग्रोव्स की परंपरा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर सकती है।

जैव विविधता के खतरे (threats to biodiversity)

इस पृथ्वी पर करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर ही वह वातावरण उपस्थित है जिसके कारण जीवों का अस्तित्व संभव है। ऑक्सीजन, जल, तापमान, आद्रता, मिट्टी, प्रकाश सब कुछ संतुलित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है। जिसके कारण जीवन संभव हो सका, विभिन्न जीवों का, फिर चाहे वह पौधे हों या वृक्ष, पशु हो या पक्षी, बैक्टीरिया वायरस हों या मनुष्य, सभी का विकास हुआ और एक दूसरे के सहअस्तित्व से पारिस्थितिक चक्र से, ऊर्जा प्रवाह से बरसों से सबका जीवन चलता रहा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में (पेड़, पौधे, पशु-पक्षी मानव) पारस्परिक विभिन्नता पाई जाती है। यह जैवविविधता स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर होती है, जो उस स्थान की जलवायु, तापक्रम, आद्रता मिट्टी व प्रकाश की उपलब्धता इत्यादि द्वारा निर्धारित होती है।

पृथ्वी पर होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों, विभिन्न खगोलीय घटनाओं व उत्पत्तिवर्तन इत्यादि द्वारा जीवों का विकास हुआ व उनमें विविधता विकसित होती गई। सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले जीव एक कोषीय थे, जिनके विकास के विभिन्न चरणों को पार करने पर बहुकोषीय व अत्यंत जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। हरे पौधों के जन्म से विकास की नई इबारत प्रारंभ हुई और आज भी वही सोलर ऊर्जा को परिवर्तित कर हम सबके लिए भोजन निर्माण करने का कार्य करते हुए इस पारिस्थितिकी तंत्र का आधार स्तंभ हैं। उनके बगैर हम सबका जीवन एक क्षण भी संभव नहीं क्योंकि वे ही हमारे लिए भोजन, जल व प्राणवायु को सतत प्रदान करते हैं। इन पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं की जितनी विभिन्न प्रजातियां होंगी, उनकी उपयोगिता मानव जीवन के लिए उतनी अधिक

होगी। क्योंकि यह सब मात्र भोजन ही नहीं बल्कि फल, फूल, औषधी, लकड़ी, मसाले, जन्म से मृत्यु तक की हर उपयोगी व आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं।

मानव को टेक्नोलॉजी व मशीनों के विकास के साथ इन जीवित प्राणियों का उनकी विविधता का मोल समझना होगा व इनके संरक्षण के उपाय स्वहित में ढूंढने होंगे। प्रकृति ने जैवविविधता के रूप में जो अपार प्राकृतिक संपदा दी है, पेड़-पौधों व हर प्राणी मात्र में विभिन्न प्रजातियां व उनमें विविधता निर्मित की है, उसे बचाने हेतु बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। तभी गेहूं-चावल से लेकर आम, अनार तक व गुलाब, गेंदे से लेकर गुलमोहर, अमलतास, तक और चींटी से लेकर हाथी व सांप से लेकर शेर तक की विभिन्न प्रजातियां सुरक्षित होंगी। हमारे विकास की कीमत ये निरीह मासूम व बेगुनाह उठाते रहे हैं।

हमने अपने विकास के लिए इनके आवासों को छीना, प्रकृति, निर्मित भाजन श्रृंखला में व्यवधान डाल इनसे भोजन छीनकर इनके जीने का आधार छीनने का पाप किया है, जिससे हमारे जीवन को भी क्षति पहुंच रही है।

जैव विविधता का खतरा -

मानव ने अपने विकास के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए असंख्य प्राणियों व पेड़-पौधों को नष्ट कर दिया जिसके मुख्य कारण निम्न है -

(1) आवासीय क्षति - जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण औद्योगिकीकरण वनों के विनाश के कारण बने, जिनके उजड़ने से हजारों पशु पक्षियों व प्राणियों का बसेरा ही खत्म हो गया व इस प्रकार उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है या लुप्त हो चुकी है।

(2) वन्यजीवन का अवैधानिक शिकार - हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए (जैसे - भोजन व अन्य) तो प्राकृतिक संपाद अपार है, पर हमारे स्वार्थ व लालच के आगे सींग, नाखून, चमड़ा हाथी दांत, जैसी वस्तुओं के बहुमुल्य होने से इन्हें प्राप्त करने के लालच व उनसे पैसा कमाने की चाहत की बली ये मजबूर असहाय मासूम जानवर अपनी जान देकर चुका रहे हैं। प्रतिबंधित होने पर भी इनका शिकार बरसों से हो रहा है व हिरण बाध बारहसिंगा सबकुछ खत्म होने की कगार पर हैं। कालाहिरण, मगर, कछुए, विषहीन सर्प, सूअर, शेर, बाघ, चीता हो या पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही है जिनका संरक्षण आवश्यक है।

(3) मानव वन्य जीवन संघर्ष - वर्तमान समय में वनों की अवैध कटाई घास स्थलों का, चारागाह स्थलों का रूपांतरण कई समस्याओं का कारण है -

कृषि व अन्य कारणों से रासायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग ने पर्यावरण प्रदूषण के साथ सूक्ष्म जीवों को भी लुप्त कर दिया है। अतः विकास की हदें तय करने व लाभ के लिए वन्य जीवन को खतरे में न डालने के संकल्प तथा विकास व वन्य जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने से ही मनुष्य वन्यजीव संघर्ष विवाद का हल संभव है।

(4) सड़क व रेलमार्गों के लिए वनस्पति व प्राणियों को उजाड़ा जाना।

(5) कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तन।

(6) उद्योगों के लिए वनों व चारागाहों का उन्मूलन।

(7) वन्य प्राणियों को भोजन, सजावट की वस्तुओं व बाजार मूल्य की अधिकता के कारण मारना।

विभिन्न जातियों का विलुप्त या संकटापन्न होना रोकना होगा।

शहरीकरण औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वनों का विनाश व वन्य जीव जात के आवास स्थलों के खत्म होने के परिणामस्वरूप संसार में जीव जात की अनेक प्रजातियां प्राणी एवं पेड़-पौधों या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। विलुप्त प्रजाति का पुर्ननिर्माण असंभव है, अतः उसका उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण आवश्यक है इस हेतु अंतराष्ट्रीय संघ ने 1984 में रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया व संकटापन्न प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों में विभाजन किया।

1 संकटापन्न प्रजातियां - प्राकृतिक आवास नष्ट होने से प्रजनन की स्थिति समाप्त सी हो गई है जिससे विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है।

उदा. भारतीय सोन चिड़िया, शेर, गेंडा।

2 दुर्लभ जातियां - ऐसी वन्य प्रजातियां जो अब केवल विशिष्ट भू-भाग या सीमित क्षेत्र में ही रह गई हैं।

उदा. सफेद शेर, भारत में केवल बांधवगढ़ में ही रह गया है।

3 संकटमयी प्रजातियां - प्राकृतिक आवास नष्ट होने से विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं।

4 विलुप्त प्रजातियां - किसी समय पाई जाती थीं, लेकिन पर्यावरण व प्राकृतिक संपदा के कारण से लुप्त हो चुकी हैं। उनके होने के प्रमाण जीवाश्म के रूप में ही उपलब्ध हैं। उदा. आर्कियोप्टेरिक्स, ट्राइलोबाइट।

5 प्रहार सुलभ प्रजातियां - वे प्रजातियां जो कुछ ही वर्षों में विलुप्त होने में हैं क्योंकि दिन-प्रतिदिन इनकी संख्या तेजी से घट रही है। उदा. चीता, काला हिरण, सारस, तितली (कुछ प्रजातियां)।

जैव विविधता की कीमत या मूल्य – (Biodiversity Values)

इस पृथ्वी पर जीवन को चलाए रखने के लिए प्रकृति ने सभी जैविक घटकों के बीच परस्पर संबंध बनाया है, जो भोजन श्रृंखला व ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखते हुए सभी के लिए भोजन, हवा पानी की व्यवस्था करता है। प्रकृति के जैविक व अजैविक घटकों का परस्पर संबंध ही इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चला प्राकृतिक चक्रों जैसे ऑक्सीजन, पानी, कार्बनडाइ आक्साइड व नाइट्रोजन इत्यादि को सफलता से संचालित करते हुए वर्षों से इनकी सांद्रता को संतुलित बनाता है। पृथ्वी पर जल चक्र पानी के रूप में अमृत बरसाता है। कार्बन डाइ आक्साइड पौधों द्वारा ली जाकर भोजन निर्माण के साथ प्राणदायी ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वातावरण में सम्मिलित होती है। नाइट्रोजन चक्र से शरीर उपयोगी अमिनो एसिड्स व प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रकृति का हर घटक चाहे वह जीवित हो जैसे - पौधे, पशु, पक्षी, जंतु-जानवर या इंसान या अजीवित जैसे- समस्त तत्व व उनका चक्र तथा सौर ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ प्रकृति का प्रबंधन है जिसके लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता का मूल्य निम्न प्रकार से समझा जा सकता है -

(1) मनुष्य के उपयोग के लिए - मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक व प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हर उपयोगी वस्तु पेड़-पौधे, जीव जंतुओं द्वारा ही प्रदत्त की जाती है। भोजन, फल, फूल, सब्जी से लेकर हर औषधी, लकड़ी, चारा, मछली सबकुछ विभिन्न जीवों द्वारा ही प्रदान होते हैं।

(2) उत्पादकीय उपयोग - मनुष्य द्वारा विभिन्न पेड़-पौधे व जीव जंतुओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जड़ी-बूटियों, लाख, गोंद, अनाज दूध ऊन इत्यादि इन्हीं जीव जंतुओं व पौधों से प्राप्त होते हैं, जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए नष्ट करता आया है।

(3) सामाजिक उपयोग - सदियों से हमारी संस्कृति के रीति-रिवाजों में विभिन्न पेड़-पौधों व पशुओं को पूजने की उनका आभार मानने की परंपरा है जिससे उनके प्रति श्रद्धा व दया का भाव विकसित हो उनका संरक्षण हो सके।

भौतिक मूल्य - हमारे पौराणिक ग्रंथों व पंचतंत्र तथा जंगल बुक जैसे पुस्तकों के माध्यम से हमें पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं की कहानियों से जीवन मूल्य प्रतिस्थापित करने में आसानी हुई है। वृक्षों से दृढ़ता व दान का पाठ सीखने को मिलता है जो हमें छाया देते हैं, अपने फल-फूल उदारता से देते हैं। हिरण चपलता का, शेर साहस निडरता व शक्ति का, कुत्ता वफादारी का प्रतीक माना जाता है, चिड़िया परवरिश का उदा. समझाती है जो समय आने पर बच्चों को उड़ने की स्वतंत्रता सहजता से देती है।

सौन्दर्यगत मूल्य - सभी तरह के पेड़-पौधे अपने सुंदर, रंगीन व सुगंधी फूलों के कारण हमारे आंगन में हरियाली के साथ मन को प्रसन्नता से भर सकने की क्षमता रखते हैं। हमारे बाग-बगीचे, घर आंगन, सड़के सभी इनके कारण सुंदरता बिखेरते हैं। पक्षियों की विविधता उनके सुंदर पंखों से है, तो कोयल की कूक व चिड़िया की चहचहाट पपीहे की पी मनुष्य को तनावमुक्त कर प्रसन्नता व सुख से भर देती है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अतः जैव विविधता हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी है।

जैविक आक्रमण (biological invasion)

एक इनवेसिव प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है, जो किसी विशिष्ट स्थान (एक प्रचलित प्रजाति) के मूल निवासी नहीं है, और यह एक हद तक फैलने की प्रवृत्ति है जो पर्यावरण, मानव अर्थव्यवस्था या मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है।

यह शब्द सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रजातियों पर लागू होता है जो आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से, पर्यावरणीय या पारिस्थितिक रूप से आक्रमण करने वाले आवासों और बायोरेजों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसी प्रजातियां या तो पौधे या जानवर हो सकते हैं और प्राकृतिक नियंत्रण के नुकसान (जैसे शिकारियों या शाकाहारी) से एक क्षेत्र, जंगल क्षेत्रों, विशेष निवासों, या वन्यजीव-शहरी इंटरफ़ेस भूमि पर हावी हो सकते हैं। इसमें पौधों की प्रजातियों को विदेशी कीट पौधों के रूप में लेबल किया जाता है और देशी पौधों के समुदायों में इनवेसिव एक्सोटिक्स बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ "इनवेसिव एलियन प्रजाति" को परिभाषित करता है, जो कि, सबसे पहले, उनके प्राकृतिक वितरण क्षेत्र के बाहर है, और दूसरी बात, जैविक विविधता को खतरा है। इस शब्द का उपयोग भूमि प्रबंधकों, वनस्पति विज्ञानियों, शोधकर्ताओं, बागवानीविदों, संरक्षणवादियों और जनता के लिए हानिकारक खरपतवारों द्वारा भी किया जाता है।

अस्सी के दशक से जैविक आक्रमणों ने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें वैश्विक जैव विविधता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक माना जाता है। कई मानवीय गतिविधियाँ प्रजातियों के जानबूझकर और आकस्मिक प्रसार में मदद कर सकती हैं (उदाहरण के लिए कृषि, जलीय कृषि, मनोरंजन, परिवहन) फैलाव की प्राकृतिक बाधाओं को तोड़ना। यद्यपि समय के साथ प्रजातियों का प्राकृतिक वितरण बदल सकता है, लेकिन वे गतिविधियाँ दुनिया भर में प्रजातियों की गति की गति और स्थानिक पैमाने को बढ़ा सकती हैं। आक्रामक प्रजातियां "पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियरों" के रूप में कार्य कर सकती हैं; पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण सामुदायिक संरचना पर मजबूत प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य रूप से पर्यावरण के संरक्षण पर विचार करने के लिए जैविक आक्रमणों का नियंत्रण और रोकथाम मुख्य कारक हैं।

आक्रमण की प्रक्रिया (Process of invasion)

आक्रमण प्रक्रिया चरणों की एक श्रृंखला के रूप में है जो प्रजातियों को वितरण की प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए सामना करना चाहिए।

1. परिवहन।
2. स्थापना या प्राकृतिककरण।
3. फैलाव।
4. मानव की धारणा।

प्रभाव (Impact)

जैव-प्रत्यक्षीकरणकर्ताओं के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव।

प्रत्यक्ष प्रभाव: प्रजातियां उत्पन्न करने वाला सबसे गहरा परिवर्तन आवास पर होता है, क्योंकि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अन्य उदाहरणों में देशी प्रजातियों के साथ परजीवीवाद, भविष्यवाणी या प्रतियोगिता शामिल है।

अप्रत्यक्ष प्रभाव: एक शुरू की गई प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र पर अन्य प्रजातियों, बांधों, मेजबानों और परजीवियों के बीच बातचीत को प्रभावित कर सकती है

biological invasion emphasis on indian biodiversity

एक विदेशी पौधे को विदेशी, गैर-स्वदेशी या गैर-देशी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कि जानबूझकर या अन्यथा मानव एजेंसी के माध्यम से या गलती से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाया गया है। एक विदेशी पौधा जो अपने मूल पारिस्थितिकी तंत्र से बच गया है और क्षेत्रीय वनस्पतियों में अपने दम पर प्रजनन कर रहा है, एक प्राकृतिक प्रजाति माना जाता है। जो प्राकृतिक रूप से विदेशी होते हैं वे वनस्पतियों में फैलने में सफल हो जाते हैं और देशी बायोटा को विस्थापित कर देते हैं या इससे होने वाले नुकसान के कारण मूल्यवान पर्यावरण, कृषि या व्यक्तिगत संसाधनों को खतरे में डालते हैं। मनुष्य हजारों वर्षों से कभी-कभी जानबूझकर सामाजिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए और कभी-कभी दुर्घटनावश दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जानवरों और पौधों का परिवहन करता रहा है। ज्यादातर मामलों में, इस तरह के परिचय असफल होते हैं, लेकिन जब वे एक आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में स्थापित हो जाते हैं (IUCN (2000) द्वारा परिभाषित "एक विदेशी प्रजाति जो प्राकृतिक या अर्ध-प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या निवास में स्थापित हो जाती है, परिवर्तन का एक एजेंट है), और देशी जैविक विविधता को खतरा है"), परिणाम भयावह हो सकते हैं। जैविक विविधता के कन्वेंशन के अनुसार, आक्रामक विदेशी प्रजातियां दुनिया में जैव विविधता के नुकसान का दूसरा सबसे बड़ा कारण हैं और कृषि, वानिकी और जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर उच्च लागत लगाती हैं। वास्तव में, शुरू की गई प्रजातियां प्रदूषण, फसल और संयुक्त रोग की तुलना में देशी जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा हैं। आक्रामक प्रजातियों में वैश्विक सीमा और तेजी से वृद्धि, दुनिया के वनस्पतियों और जीवों का समरूपीकरण कर रही है और इसे वैश्विक जैव विविधता हानि के प्राथमिक कारण के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैव-आक्रमण को जैविक परिवर्तन और वैश्विक परिवर्तन पर महत्वपूर्ण घटक और प्रजातियों के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में माना जा सकता है। फॉरेस्टर, टैक्सोनोमिस्ट और इकोलॉजिस्ट अब विदेशी प्रजातियों के प्राकृतिक क्षेत्रों में आक्रमण और देशी जैव विविधता के वैश्विक पैटर्न पर जुड़े नकारात्मक प्रभावों के कारण होने वाली समस्याओं से अच्छी तरह से अवगत हैं। एक बार स्थापित होने के बाद, कुछ विदेशी प्रजातियों में देशी पौधे और जानवरों की प्रजातियों को विस्थापित करने या बदलने की क्षमता होती है, पोषक तत्वों और अग्नि चक्रों को बाधित करते हैं, और पौधे के उत्तराधिकार के पैटर्न में परिवर्तन का कारण बनते हैं।

इनवेसिव प्रजातियाँ बायोडाइ-वर्सिटी (*aravali and himalayan biodiversity*) के नुकसान में योगदान देने वाली, वैश्विक पारिस्थितिकी परिवर्तन की एक प्रमुख चालक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव, और भारत सहित दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान को प्रभावित करती हैं। भारतीय यात्रा के वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलैंड व्यापार में परिणामी वृद्धि के मद्देनजर, एलियनस्पेस की शुरूआत, स्थापना और प्रसार भारत में गंभीर पारिस्थितिक सामाजिक-आर्थिक परिणामों के साथ बढ़ने की संभावना है। आधुनिक भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करते हुए इनवेसिव प्रजातियों की मैपिंग और मॉनिटरिंग हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, प्रभाव मूल्यांकन, कॉन्-टैनमेंट, नियंत्रण और बहाली का अभी भी भारत में अभाव है इसलिए देश में प्लांट इनवेसिन के प्रभावी प्रबंधन को बाधित करता है। e.g. **Lantana camara**.

वर्तमान जन विलुप्त होने का संकट (current mass extinction crisis)

होलोसीन विलोपन, जिसे अन्यथा छठे विलोपन या एन्थ्रोपोसीन विलुप्त होने के रूप में जाना जाता है, वर्तमान होलोसीन काल के दौरान प्रजातियों की चल रही विलुप्त होने की घटना है (हाल के समय के साथ कभी-कभी मानव गतिविधि के परिणामस्वरूप एन्थ्रोपोसीन कहा जाता है। शामिल विलुप्त होने वाले पौधों में कई परिवार और जानवर शामिल हैं, जिनमें स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप और आर्थ्रोपोड शामिल हैं। प्रवाल भित्तियों और वर्षावनों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे अत्यधिक जैव-विविधता वाले आवासों के व्यापक गिरावट के साथ, इन विलुप्त होने के विशाल बहुमत को अनिर्दिष्ट माना जाता है, क्योंकि प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के समय अनदेखा किया गया है, या किसी ने अभी तक खोज नहीं की है उनकी विलुप्ति। प्रजातियों की विलुप्त होने की वर्तमान दर प्राकृतिक पृष्ठभूमि दरों की तुलना में 100 से 1,000 गुना अधिक अनुमानित है

होलोसिन विलुप्त होने में मेगाफाऊना के रूप में जाना जाने वाले बड़े भूमि के जानवरों का गायब होना शामिल है, जो पिछले हिमनदी अवधि के अंत में शुरू होता है। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर मेगाफाऊना, जो मनुष्यों के साथ विकसित नहीं हुआ था, नए पूर्वानुमान की शुरुआत के लिए अत्यधिक संवेदनशील साबित हुआ, और पृथ्वी पर फैलने के कुछ ही समय बाद बहुत से लोग मर गए और पृथ्वी पर शिकार करना शुरू कर दिया (कई अफ्रीकी प्रजातियां भी होलोसीन में विलुप्त हो गई हैं , लेकिन - कुछ अपवादों के साथ - मुख्य भूमि का मेगाफाऊना कुछ सौ साल पहले तक काफी हद तक अप्रभावित था)। प्लेस्टोसीन-होलोसिन सीमा के पास होने वाले इन विलुप्त होने को कभी-कभी क्वाटर्नरी विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाता है।

मानव प्रभाव के बिना प्रजातियां 100 गुना तेजी से विलुप्त हो रही हैं। 1970 के बाद से जंगली जानवरों की आबादी आधे से अधिक हो गई है, जबकि मानव आबादी दोगुनी हो गई है। हमारे ग्रह के इतिहास में केवल पांच बार पहले ही इतनी सारी प्रजातियाँ हैं और इतनी जैव विविधता इतनी जल्दी खो गई है। पांचवां तब था जब डायनासोरों का

सफाया हो गया था। इसीलिए वैज्ञानिक और संरक्षणवादी कहते हैं कि अब जो हो रहा है वह 'छठा सामूहिक विलोपन' है। कुछ ने आज जैव विविधता के नुकसान को 'जैविक विनाश' के रूप में वर्णित किया है।

प्रजाति पुनरुत्पादन और **अनुवादन** (species reintroduction and translocation)

प्रजाति पुनरुत्पादन जंगली, कैद से या अन्य क्षेत्रों में एक प्रजाति का जानबूझकर रिलीज है जहां जीव जीवित रहने में सक्षम है। प्रजातियों के पुनरुत्पादन का लक्ष्य एक स्वस्थ, आनुवंशिक रूप से विविध, आत्मनिर्भर आबादी को उस क्षेत्र में स्थापित करना है जहां इसे लुप्त हो गया है, या मौजूदा आबादी को बढ़ाने के लिए। प्रजातियां जो पुनः उत्पादन के लिए योग्य हो सकती हैं, आमतौर पर जंगली में खतरे या खतरे में हैं। हालांकि, एक प्रजाति का पुनरुत्पादन कीट नियंत्रण के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, भेड़ियों को एल्क या हिरणों की अधिकता पर अंकुश लगाने के लिए एक जंगली क्षेत्र में भेजा जा रहा है। क्योंकि प्रजनन में स्थानीय प्रजातियों को वापस लौटाना शामिल हो सकता है, जहां वे लुप्त हो गए थे, कुछ लोग "पुनर्स्थापना" शब्द पसंद करते हैं।

मनुष्य हजारों वर्षों से भोजन और कीट नियंत्रण के लिए प्रजातियों को फिर से प्रस्तुत कर रहा है। हालाँकि, संरक्षण के लिए पुनः प्रस्तुत करने की प्रथा बहुत कम है, जो 20 वीं शताब्दी में शुरू हुई थी।

प्रजातियों के प्रजनन के लिए कई तरह के दृष्टिकोण हैं। for e.g. ex-situ and insitu.

अनुवादन - एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रजातियों, आवासों या अन्य पारिस्थितिक सामग्री (जैसे मिट्टी) का कब्जा, परिवहन और रिलीज या परिचय है। यह पुनः प्रजनन के विपरीत है, एक शब्द जो आमतौर पर कैप्टिव स्टॉक से प्रजातियों के जंगली में परिचय को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

अनुवादन एक प्रभावी प्रबंधन रणनीति और संरक्षण जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण विषय है। यह एक प्रजाति की सीमा को बढ़ाकर, एक महत्वपूर्ण आबादी में संख्या को बढ़ाता है, या इस प्रकार विलुप्त होने के जोखिम को कम करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के स्तर में सुधार करता है।

ट्रांसलोकेशन महंगा हो सकता है और अक्सर सार्वजनिक जांच के अधीन होता है, विशेष रूप से जब इसमें शामिल प्रजातियाँ करिश्माई या खतरनाक मानी जाती हैं (उदाहरण के लिए भेड़िये का प्रजनन)। एक उपकरण के रूप में **अनुवादन** का उपयोग एक एकल जनसंख्या के साथ प्रजातियों की तबाही के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रजातियों की अलग-अलग आबादी की आनुवंशिक विविधता में सुधार किया जा सके, ताकि किसी प्रजाति की प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति में मदद मिल सके। एक ऐसी प्रजाति जहां बाधाएं इसे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने से रोक सकती हैं। इसका उपयोग विकास के रास्ते से पारिस्थितिक सुविधाओं को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है।

जैविक विविधता संरक्षण (Biodiversity Conservation):

विकासशील तथा विकसित देशों में जैविक विविधता हास एक भारी प्रश्न के रूप में उभरी है। वर्ष 1992 में आयोजित अर्थ सम्मेलन (Earth Summit) के पश्चात विश्व के सभी देश पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस विश्व शिखर सम्मेलन में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विकसित देश, विकासशील देशों के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे इसलिये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विकसित देश, विकासशील देशों को बायो-टेक्नोलॉजी (Biotechnology) को मुफ्त में उपलब्ध करायें।

जैविक विविधता संरक्षण के लिये विश्व शिखर सम्मेलन (Earth Summit) में निम्न बातों पर सहमति प्रकट की गई जिसके लिये नीचे दी गई योजनायें तैयार की गई हैं:

1. जैविक विविधता को संरक्षण प्रदान किया जाये।
2. जैविक विविधता को स्वास्थ्य एवं टिकाऊ बनाया जाये।
3. जैविक विविधता का लाभ समाज के सभी वर्गों को विवेकतापूर्ण ढंग से पहुंचना चाहिये।

विश्व सम्मेलन (Earth Summit) पर इस मुद्दे पर सहमति हुई कि अपने संसाधनों पर प्रत्येक देश का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये। यदि कोई देश किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके बीच होने वाले लाभ के बारे में संधि होनी चाहिये। यह कार्यक्रम 1993 में लागू किया गया।

जैविक संरक्षण रणनीति (Strategies for Biodiversity Conservation):

जैविक विविधता के संरक्षण के लिये निम्न दो प्रकार की योजनाओं पर काम किया जा सकता है:

1. स्वस्थाने (In-Situ Conservation):

जैविक विविधता को स्वस्थाने संरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार को बायोस्फियर रिजर्व (Biosphere Reserves) राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) शरण्य (Sanctuaries) सुरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) तथा आर्द्र-स्थलों (Wetlands) का सीमांकन करना चाहिये।

(i) बायोस्फियर रिजर्व (Biosphere Reserves):

बायोस्फियरों का सीमांकन करना, जैविक विविधता को संरक्षण प्रदान करने का एक प्रभावशाली तरीका है। बायोस्फियर रिजर्व के अंतर्गत, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, लघु प्राणियों तथा जलाशयों एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

इनका सीमांकन यूनेस्को (UNESCO) के Man and Biosphere (MAB-1968) में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। भारत में इनका सीमांकन केन्द्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है।

मैन एण्ड बायोस्फियर (Man and Biosphere-MAB) के अनुसार बायोस्फियर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है भारत में वर्ष 2014 तक 18 बायोस्फियर रिजर्व्स हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:

1. अगस्था मलाय (Agasthamalai),
2. अचानकमार-अमरकंटक (Achanakmar-Amarkantak),
3. शीत मरुस्थल (Cold Desert),
4. दिहांग-दिबांग (Dehang-Debang),
5. डिब्रू-शिखोबा (Dibru-Saikhowa),
6. ग्रेट-निकोबार (Great Nicobar),
7. मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar),
8. कच्छ (Kachchh),
9. कंचनजंगा (Kanchanjunga),
10. मानस (Manas),
11. नन्दा देवी (Nanda-Devi),
12. नीलगिरि (Nilgiri),
13. नोकरेक (Nokrek),
14. पचमढ़ी (Panchmadhi),
15. पन्ना (Panna),
16. सीशाचलम (Seshachalam),

17. सिमलीपाल (Simlipal) तथा

18. सुन्दरवन (Sundarban) ।

उपरोक्त 18 बायोस्फियर रिजर्व में से केवल सात ही विश्व-नेटवर्क बायोस्फियर रिजर्व में सम्मिलित हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:

1. सुन्दरवन (Sundarban),
2. मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar),
3. नीलगिरि (Nilgiri),
4. नन्दा देवी (Nanda-Devi),
5. पचमढ़ी (Panchmadhi),
6. सिमलीपाल (Simlipal) तथा
7. नोकरेक-मेघालय (Nokrek Meghalaya) ।

(ii) राष्ट्रीय उद्यान (National Park):

राष्ट्रीय उद्यान केन्द्रीय सरकार के द्वारा सीमांकित एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं कई पारिस्थितिकी तन्त्र (Eco Systems) पाये जाते हैं । राष्ट्रीय उद्यान में पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, भू-आकृतियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा जहाँ शिक्षा एवं शोध कार्य की सुविधा होती है ।

वर्ष 2014 के आँकड़ों के अनुसार भारत में सौ (100) राष्ट्रीय उद्यान हैं । भारत में वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान का सीमांकन किया जाता है ।

राष्ट्रीय पार्कों में निम्न: क्रिया-कलापों (Activities) पर प्रतिबंध होता है:

- i. पशु-पक्षियों का शिकार करने, पकड़ने, चुराने (Poaching) मछली मारने पर प्रतिबंध,
- ii. किसी भी जंगली जानवर के प्राकृतिक आवास को नष्ट करने पर प्रतिबंध होता है,
- iii. राष्ट्रीय उद्यान में हथियारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता,
- iv. पशुचारण पर प्रतिबंध होता है तथा
- v. राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं को बदला नहीं जा सकता ।

(iii) अभयारण्य (Sanctuaries):

भारत में अभयारण्य (Sanctuaries) का सीमांकन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार भी पारिस्थितिकी महत्व के क्षेत्र को अभयारण्य (Sanctuary) घोषित करके उसका सीमांकन कर सकता है।

किसी भी शरण्य में पारिस्थितिकी के विशेष पशु-पक्षी, अथवा पेड़-पौधों को संरक्षण प्रदान करना होता है। भारत में 2012 के आंकड़ों के अनुसार 514 अभयारण्य हैं, जिनमें से 39 बाघ-अभयारण्य (Tiger Sanctuaries) तथा 21 पक्षी-अभयारण्य हैं।

2. अस्वस्थाने संरक्षण (Ex-Situ Conservation):

यदि पशु-पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट अथवा बरबाद हो जायें तो उनको अस्वस्थाने (Ex-Situ) संरक्षण प्रदान किया जाता है। अस्वस्थाने संरक्षण में मानव द्वारा संकटमय जीव-प्रजातियों (Endangered Species) के लिये प्राकृतिक आवास दूर ऐसी जीव-प्रजातियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है।

इस प्रकार के संरक्षण के लिये चिड़िया घर (Zoological Parks) वनस्पति उद्यान (Botanical Gardens), बीज-बैंक (Seed Bank), आदि का निर्माण किया जाता है।

संकटमय (Endangered Species) को संरक्षण प्रदान करने के लिये बहुत-से स्थानों पर पुनर्वास केन्द्र (Rehabilitation Centers) स्थापित किये जाते हैं। भारतवर्ष में ऐसे पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना राष्ट्रीय योजना 1983 (National Action Plan, 1983) के अंतर्गत की जाती है।

जैव विविधता का स्वहित में हो संक्षरण -

जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें अपने स्वयं के हित में मानसिकता विकसित करनी होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में विभिन्न जीव व पेड़-पौधों की संख्या 1.5 से 20 करोड़ तक हो सकती थी, जो प्रतिवर्ष तेजी से घट रही है इसके संरक्षण के लिए दो प्रकार के उपाय हैं।

1 - स्थानास्थ - राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों द्वारा जैव मण्डल आरक्षण स्थलों द्वारा।

2 - बहि स्थानास्थ - जीन बैंकों, बीज बैंक व इनविट्रो विधि द्वारा।

परंतु इनके आलावा हमारे दिन प्रतिदिन के प्रयास ही जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं।

1 - वनों का पौधों का पेड़ों का विनाश रोकना।

2 - जलवायु अनुसार अधिक से अधिक वृक्षारोपण व उससे भी महत्वपूर्ण उनका संरक्षण।

- 3 - उपलब्ध जल संसाधनों का किफायती उपयोग।
 - 4 - मरूस्थलीय क्षेत्रों को सिंचित कर उन्हें उपजाऊ व हरा-भरा बनाने के प्रयास।
 - 5 - खदानों के अनियंत्रित खनन पर पाबंदी।
 - 6 - चारागाह क्षेत्रों में अनियंत्रित पशु चारण पर रोक लगे।
 - 7 - कृषि भूमि का भरपूर उपयोग हो रोटेश्रल फसल लगाकर।
 - 8 - खनिज पदार्थों की किफायती उपयोग।
 - 9 - नदियों व जलाशयों में विषैले रसायनिक पदार्थों का मिलना प्रतिबंधित हो क्योंकि जीव-जंतुओं मछलियों की जान तो जाती ही है।
- मनुष्य में भी कई गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं।
- 10 - जल के महत्व को समझ उसका किफायती उपयोग।
 - 11 - सभी प्राकृतिक संसाधनों चाहे वह सोना चांदी हो या पेट्रोल, पेड़-पौधे हो या पानी का महत्व समझ उनके संरक्षण की मानसिकता विकसित करनी होगी।

यह प्राकृतिक संपदा अपार है इसे प्रकृति ने हमारे ही हित के लिए निर्मित किया है लेकिन इसका मोल समझने की समझदारी हमें ही विकसित करनी होगी तभी इस सुंदर अप्रतीम अदभुत प्रकृति का आनंद हम स्वयं भी उठा पाएंगे व आने वाली पीढ़ियों को सुख सुकून भरे जीवन की विरासत दे पाएंगें जो हमारा सर्वोपरी कर्तव्य है। इस धरती पर जीने का, बसने का, अपनी प्रजाति को विकसित करने का हक हर जीव का व उसकी हर प्रजाति का है, जब यह हम समझ लेंगे तो जैव विविधता बनी रहेगी। इसी में हमारा सच्चा विकास व प्रगति है।

प्रोजेक्ट टाईगर (Project Tiger)

प्रोजेक्ट टाईगर (*बाघ बचाओ परियोजना*) की शुरुआत ७ अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अन्तर्गत आरम्भ में ९ बाघ अभयारण्य बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। सरकारी आकड़ों के अनुसार 2006 में १४११ बाघ बचे हुए हैं। 2010 में जंगली बाघों की संख्या 1701 हो गयी है। 2226 बाघ 2014 में प्राकृतिक वातावरण में थे। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है।

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से भारत में बाघों की वास्तविक आबादी को बरकरार रखने के लिए तथा हमेशा के लिए लोगों की शिक्षा व मनोरंजन के हेतु राष्ट्रीय धरोहर के

रूप में इसके जैविक महत्व के क्षेत्रों को परिरक्षित रखने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना वर्ष १९७३ में शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ में संशोधन किया गया। बाघ अभयारण्य के भीतर अपराध के मामलों में सजा को और कड़ा किया गया। वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपकरण, वाहन अथवा शस्त्र को जब्त करने की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई है। सेवानिवृत्त सैनिकों और स्थानीय कार्यबल तैनात करके १७ बाघ अभयारण्यों को शत-प्रतिशत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए ४-९-२००६ से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया।

हाथी परियोजना (Project Elephant), 1992

भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके आवास की रक्षा करना, मानव-पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करना तथा पालतू हाथियों का कल्याण करना था

भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट ऐलीफेंट (हाथी) के अंतर्गत हाथी संरक्षण क्षेत्र (Elephant reserves) बनाने का निर्णय लिया था। इस योजना के तीन उद्देश्य हैं –

1. हाथियों और उनके प्राकृतिक वास का संरक्षण
2. मनुष्य-पशु संघर्ष के मुद्दे को हल करना
3. बंदी हाथियों की देखभाल करना

देश के 16 राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न हाथी संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया है। ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड।

project great indian bustard

गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड; वैज्ञानिक नाम: *Ardeotis nigriceps*) एक बड़े आकार का पक्षी है जो भारत के राजस्थान तथा सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षी है। बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। सोहन चिड़िया, हुकना, गुरायिन आदि इसके अन्य नाम हैं।

यह पक्षी भारत और पाकिस्तान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है। पहले यह पक्षी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं तमिलनाडु राज्यों के घास के मैदानों में व्यापक रूप से पाया जाता था। किंतु अब यह पक्षी कम जनसंख्या के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और संभवतः मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा पुस्तिका में इसे 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इस विशाल पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन "मेरी उड़ान न रोकें" जैसे मार्मिक वाक्यांश से किया गया है। भारत सरकार के वन्यजीव निवास के समन्वित विकास के तहत किये जा रहे 'प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम (Species Recovery Programme)' के अंतर्गत चयनित 17 प्रजातियों में गोडावण भी सम्मिलित है।

यह जैसलमेर के मरू उद्यान, सोरसन (बारां) व अजमेर के शोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। यह पक्षी अत्यंत ही शर्मिला है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। यह पक्षी 'सोन चिरैया', 'सोहन चिडिया' तथा 'शर्मिला पक्षी' के उपनामों से भी प्रसिद्ध है। गोडावण का अस्तित्व वर्तमान में खतरे में है तथा इसकी बहुत ही कम संख्या बची हुई है अर्थात् यह प्रजाति विलुप्ति की कगार पर⁽¹⁾ है।

यह सर्वाहारी पक्षी है। इसकी खाद्य आदतों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का भक्षण करना शामिल है किंतु इसका प्रमुख खाद्य टिड्डे आदि कीट है। यह साँप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है। यह पक्षी बेर के फल भी पसंद करता है।

राजस्थान में अवस्थित राष्ट्रीय मरू उद्यान में गोडावण की घटती संख्या को बढ़ाने के लिये आगामी प्रजनन काल में सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं।

राष्ट्रीय मरू उद्यान (डेज़र्ट नेशनल पार्क)

3162 वर्ग किमी. में फैले इस पार्क में बाड़मेर के 53 और जैसलमेर के 35 गाँव शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में गोडावण पक्षी इसी उद्यान में पाए जाते हैं। इसलिये इस अभयारण्य क्षेत्र को गोडावण की शरणस्थली भी कहा जाता है।

Vulture breeding programme

गिद्धों की आबादी में गिरावट के अभूतपूर्व पैमाने और गति ने सभी तीन निवासी जिप्स गिद्ध प्रजातियों को संकटग्रस्त खतरे में छोड़ दिया है। उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रजनन के लिए कैद में लाना आवश्यक है। पर्यावरण से डाइक्लोफेनाक हटाने से गिद्ध आबादी की अंतिम वसूली हो सकेगी, लेकिन इस

प्रक्रिया को व्यवहार में कई साल लग सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे वातावरण में गिद्धों की रक्षा की जाए जहां वे दवा के संपर्क में नहीं आएंगे। सफल संरक्षण प्रजनन गिद्धों की संख्या बढ़ाने में सक्षम होगा, अंततः एशिया में उनके खाद्य स्रोत डाइक्लोफेनाक से मुक्त होने के बाद एक बार फिर से जंगल में रिलीज की अनुमति होगी।

गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (VCBC) हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की एक संयुक्त परियोजना है। यह लुप्त हो रहे विलुप्त होने से तीन प्रजातियों की गिद्धों को बचाने के लिए व्हाइट-बैक, लॉन्ग-बिल और स्लेंडर-बिल है।

जटायु और स्पैरो संरक्षण प्रजनन केंद्र, पिंजौर (JCBC), (जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र) दुनिया के सबसे बड़े बीर शिकारीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय गिद्धों (गिध) और हाउस स्पैरो (प्रजनन) और प्रजनन के संरक्षण के लिए है। घरेलू चिड़िया) भारत के हरियाणा राज्य में, पंचकुला जिले में पिंजौर शहर में है। यह वन विभाग, हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) द्वारा ब्रिटिश चैरिटी रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स (आरएसपीबी) की मदद से चलाया जाता है।

साइलेंटघाटी आंदोलन (silent valley project) , 1970

केरल के पलक्कड़ ज़िले के पश्चिमी घाट पर स्थित '**साइलेंट वैली**' अपनी जैव विविधता के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। उत्तर में नीलगिरि की पहाड़ियां और दक्षिण में फैले मैदान के बीच होने के कारण ये घाटी '**साइलेंट वैली**' के नाम से जानी जाती है।

केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलामीटर क्षेत्र में है जो अपनी घनी जैव-विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुंतीपूझ नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों के स्वर गूंजने लगे। इनका मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष फूलों, पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित पारिस्थिति की को भारी हानि पहुँचा सकता है। लेकिन राज्य सरकार इस परियोजना को किसी की परिस्थिति में संपन्न करना चाहती थी। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस विवाद में मध्यस्था की और अंततः राज्य सरकार को इस परियोजना को स्थगित करना पड़ा जो घाटी के पारिस्थिति के संतुलन को बनाये रखने में मील का पत्थर साबित हुआ।

केरल में साइलेंट वैली को एक बांध परियोजना से बचाने के लिए 1970 के आंदोलन में शामिल हैं, कुछ वर्षों पहले क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड (सीईपीएफ) के तत्वावधान में यहां शुरू की गई बड़ी संरक्षण अनुसंधान और कार्रवाई परियोजना, और हाल ही में के बड़े हिस्से को उदार घोषित करने का प्रयास।

Western Ghats movement

पश्चिमी घाट आज दुनिया के शीर्ष 35 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक और बहुत अच्छे कारण के रूप में पहचाने जाते हैं। 1987 में मार्च का रास्ता क्या था, यह जगह और इसके लोगों को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता था। यह रचनात्मक सक्रियता में एक अभ्यास था, जिसे प्रेजेंटेशन भी माना जा सकता है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि पिछले तीन दशकों में घाटों ने जो अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की है। 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' का विचार पहली बार केवल 1988 में व्यक्त किया गया था।

पश्चिमी घाट में संरक्षण के प्रयास वास्तव में विविध रहे हैं। पर्वत श्रृंखला कई वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, बाघों और हाथियों के भंडार और महाराष्ट्र में पारंपरिक पवित्र कुंड (देवराई, कोडागु में देवरकादु और केरल में कावु) से निर्मित है।

इस संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी घाट, शायद, देश में सबसे अधिक गहन अध्ययन प्रणाली है और एक जहां संरक्षण के लिए अधिकतम पहल और प्रयास किए गए हैं। जबकि कुछ छोटे और स्थानीय हो गए हैं, अन्य लोगों ने राज्य और राजनीतिक सीमाओं में अपील और प्रासंगिकता को काट दिया है।

द सेव द वेस्टर्न घाट मूवमेंट (एसडब्ल्यूजीएम) भारत में पर्यावरण सक्रियता में एक ऐतिहासिक घटना थी। लक्ष्य दोनों पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों के अधिकारों के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य बनाना था। पारिस्थितिकी और संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जैसे कि वनों का निरादर, वनीकरण, वन्यजीवों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन आदि।